



Form-I
(for linear projects)
Government of Himachal Pradesh.

Office of the District Collector, Kullu, Distt. Kullu, H.P.

No: 1399 /DRA

Dated: 21/8/2021

F/R
EAM, II
WA/GA
TA/PA
AB/DB
PMGSY

my
EG
my
g/k

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 1.9446 Hec. of forest land proposed to be diverted in favour of Executive Engineer, Outer Serai Division HPPWD, Nirmand, Distt. Kullu for construction of link road from Shegni to Bhakati Kater in Kullu district falls within jurisdiction of Gram Panchyat Lot in Tehsil Nirmand. It is further certified that:

- The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.9446 Hec. of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub Division Level Committee(s) and District Level Committee are enclosed as annexure A to annexure D.
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;
- The proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.


(Ashutosh Garg, IAS)
District Collector,
Kullu.

Proceedings of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act (FRA), 2006.

A meeting of the District Level Committee of Kullu District, constituted under FRA, 2006 was held under the Chairmanship / Chairpersonship of Ashutosh Garg, IAS, Deputy Commissioner, Kullu on 27/07/2021 at 04:00 PM at Kullu in which the application(s) claiming rights in Gram Panchayat, Lot forest area under FRA, 2006, of the following applicant(s), duly processed and recommended by the Sub Division Level Committee(s) of Kullu Sub Division(s), were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions the following decisions were taken on each application:-

Name of Applicant

Executive Engineer, Outer Seraj Division
HPPWD Nirmand Distt. Kullu

Place: Kullu

Decision (Admitted/Rejected)

Admitted

DC-cum Chairman/Chairperson,
District Level Committee,
Kullu District HP.

आज दिनांक 11-12-2020 को अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकार मान्यता) अधिनियम 2006 एवं उपमण्डल स्तरीय समिति निरमण्ड की बैठक का आयोजन श्री चेत सिंह एवम् उप मण्डल अधिकारी (ना0) आनी की अध्यक्षता में उपमण्डलाधिकारी (ना0) कार्यालय आनी में सम्पन्न हुई, की कार्यवाही:-

बैठक में निम्नलिखित सरकारी व गैर सरकारी सदस्यों ने भाग लिया।

- | | |
|--|------------------|
| 1. श्री उजागर सिंह नायव तहसीलदार निरमण्ड | सरकारी सदस्य |
| 2. श्री सोहन सिंह वन परिक्षेत्र अधिकारी अरसू स्थित निरमण्ड | सरकारी सदस्य |
| 3. श्रीमति बिन्दु ठाकुर अध्यक्ष पचायत समिति निरमण्ड | गैर सरकारी सदस्य |
| 4. श्रीमति चमेल देवी बी0डी0सी0 सदस्य निधर देहरा | गैर सरकारी सदस्य |

सर्वप्रथम उप मण्डल अधिकारी (ना.) आनी ने उपस्थित अधिकारियों एवं गैर सरकारी सदस्यों का बैठक में भाग लेने के लिये धन्यवाद किया। तदोपरांत अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकार मान्यता) अधिनियम 2006 पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई तथा यह निर्णय लिया गया कि विभिन्न प्रयोजनों हेतु जो वन भूमि हस्तांतरित की जानी प्रस्तावित है, को प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। बैठक में कुल 2 मामले आए जो प्रस्तावित वन भूमि के उपरोक्त अधिनियम हेतु समिति में विचारविमर्श किया गया-

Sr. No.	Name of company/Department	Purpose	Area in Hect.	Name of Gram Sabha/Gram Panchayat	FRC Quorum
1	Executive Engineer Outer Seraj Division, HPPWD Nirmand	Construction of Link road from Shegni to Bhakati Kater	1.9446 hac.	G.P. Lot	252/490
2.	SJVNL Luhri Hydro Electric Project stage-1	Construction of Luhri Hydro Electric Project stage-1	00-94-86 hac.	G.P. Dehra	298/594

उपरोक्त मदों को समिति ने सर्व सहमति से अनुमोदित किया।

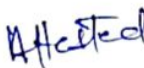

चेत सिंह(हि0प्र0से0)
उपमण्डलाधिकारी(ना0) आनी
जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

पृ0सं0/35036 /एस0डी0के0
प्रतिलिपि सेवा में:-

दिनांक 14-12-2020,

1. उपायुक्त महोदय कुल्लू को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. समस्त सरकारी व गैर सरकारी सदस्यों को सूचनार्थ प्रेषित है।


चेत सिंह(हि0प्र0से0)
उपमण्डलाधिकारी(ना0) आनी
जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।




Regional Officer (G)
Regional Dist. Kulloo H.P.,

OFFICE OF THE SUB DIVISIONAL OFFICER (CIVIL) ANNI, DISTT. KULLU H.P.

Proceeding of the meeting of the Sub Division Level Committee Constituted under Schedule Tribe & Oth traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006.

A meeting of the Sub Divisional Level Committee of Anni Sub Division constituted under FRA, 2006 was held under the Chairmanship /Chairpersonship of Sh. Chet Singh (HAS) SDO, Anni on dated 11-12-2020, 2.30 PM Anni (Place) in which the applications claiming Rights in the Conserved forest areas under FRA, 2006 of the following applications duly processed and recommended by the Forest Rights Committee of G.P. Dher Bhalsi, Nore, Kot & Bari and Durha, Gram Sabha were discussed to consider the same for recommendations to the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the claims of the following decisions were taken on each application.

Sr. No.	Name of Applicant	Name of the Forest Detail of the Forest Rights
1.	Executive Engineer Outer Siraj Division HPPWD Division Nirmand Distt. Kullu (Construction of road from Shegni to Bhakati Kater)	Sarahar Beat
2.	SJVNL Luhri Hydro Electric Project stage-1 (Construction of Luhri Hydro Electric Project stage-1)	Moin (Nither) Beat

Claims of the Following Applications were not found in order and rejected

Sr. No.	Name of Applicant	Name of the Forest Detail of the Forest Rights
1.	Nil	
2.	Nil	

As informed by FRC Dehra, Lot Applications was/were received claiming rights in Phati Nither, and lot Forest area.

Place: Anni
Dated:

Sd/-
S.D.O. (C) cum-Chairmanship/ Chairpersonship
SDLC, Anni, District Kullu H.P.

Accepted

Sub D.O. Officer (C)
Anni Distt. Kullu H.P.
09/09/2021

Annexure-1

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006.

वन अधिकार समिति
ग्राम सभा.....
प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक 24/10/2018

प्रस्ताव संख्या...../1.....

वन अधिकारी समिति ग्राम सभा.....की बैठक आज दिनांक 22/10/2018 कोवाजे
स्थानमें श्री/श्रीमती.....की अध्यक्षता में की गई जिसमें.....
अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत.....
.....जंगल वन क्षेत्र में (जिसमें.....विभाग
द्वारा.....के निर्माण के लिएहैक्टेयर वन भूमि
के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है। वन अधिकारों के लिए दावे हेतु प्राप्त हुए गांव वासियों के आवेदनो पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के
प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति सभा द्वारा निम्नलिखित पातों का दावा
नियमानुसार सही पाया गया।

क्र० संख्या	पात्र गांव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का व्यौरा
-------------	------------------------	-------------	---------------------

1

2

तदनुसार यह वन अधिकार समिति इस दावे/इन दावों को पारित करने हेतु ग्राम सभा से इस की सिफारिश करती है।

उपरोक्त में से लिखित पातों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया।

क्र० संख्या	पात्र गांव वासी का नाम
-------------	------------------------

1

2

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे /इन दावों को पारित निरस्त करने की सिफारिश करती है।

या

.....जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान.....

दिनांक 24/10/2018



 प्रमाणित
 वन अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
 ग्राम पंचायत सचिव
 ग्राम सभा

Annexure-V

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006.

ग्राम सभा.....लोटे.....
विकास खण्ड.....निमोड..... जिला.....कुल्लु..... (डि० प्र०)

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रेषित दिनांक.....2/10/2018

गणपूर्ति.....25/4/90...../.....लोटे निमोड..... प्रस्ताव संख्या
विषय.....स.स. निमोड..... विभाग/ संस्था.....लोटे निमोड निमोड.....
निर्माण हेतु.....UPF Shah C-88..... जंगल/वन क्षेत्र
में प्रस्तावित.....1.9446..... हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग
की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

ग्राम सभा.....लोटे..... की बैठक आज दिनांक.....02/10/2018..... को.....लोटे निमोड.....
स्थान.....लोटे..... की गई जिसमें.....लोटे निमोड निमोड..... विभाग/ संस्था को.....लोटे निमोड निमोड.....
हेतु.....UPF Shah C-88..... जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित.....1.9446..... हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी
के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई है।

सभी ग्रामवासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी के (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावे के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्वसम्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त नियम के अन्तर्गत के दावों के निपटारे सम्बन्धित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है/कर ली है तथा प्रस्तावित.....1.9446..... हेक्टेयर वन भूमि का.....लोटे निमोड निमोड..... निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा.....लोटे..... की सहमति दी जाती है।

स्थान.....लोटे.....

दिनांक.....2/10/2018

अधीकृत अधिकारकर्ता

ग्राम सभा वन अधिकारिता समिति
ग्राम पंचायत लोटे, जि० कुल्लु, हि०प्र०

Annexure-II

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006.

ग्राम सभा.....
प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक.....02/10/2018

प्रस्ताव संख्या....1/1....

ग्राम सभा.....की बैठक आज दिनांक.....02/10/2018को.....वजे स्थान.....में श्री/श्रीमती.....की अध्यक्षता में की गई (जिसमें.....) गाँव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अन्तर्गत..... जंगल/वन क्षेत्र में (जिसमें.....) विभाग द्वारा..... के निर्माण के लिए ...1.9.4.4.6 ...हैबटेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है। वन अधिकारों के लिए दावे हेतु ग्राम सभा की वन अधिकार समिति की सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गाँववासियों के आवेदनो पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया।

क्र० संख्या पात्र गाँव वासी का नाम जंगल का नाम वन अधिकार का व्योम

1

2

तदनुसार यह ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को पारित करते हुए इसे खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती है। उपरोक्त में से लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया।

क्र० संख्या पात्र गाँव वासी का नाम

1

2

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को पारित निरस्त करती है।

या

इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार जंगल / वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान.....

दिनांक

अधिकृत हस्ताक्षर
ग्राम सभा
ग्राम निवासी लोग जिन्हें वन अधिकार का दावा

कार्यालय ग्राम पंचायत लोट
विकास खण्ड निरमण्ड जिला कुल्लू (हि0प्र0)
पंचायती राज विभाग

क्रमांक सं०

दिनांक

नकल प्रस्ताव संख्या11..

दिनांक बैठक 02/10/2018....

उपस्थिति 252/490.

अध्यक्षता श्री प्रेम सिंह ठाकुर..... प्रधान ग्राम पंचायत लोट 1

विषय --निर्माण सडक शोगनी से भवितकटेर की वन अधिकार समिति से स्वीकृति बारे:-

महोदय,

जय हिन्द।

बैठक में सर्व सहमति से पारित हुआ है कि सडक शोगनी से भवितकटेर निर्माण हेतु राशि स्वीकृत हुई है। परन्तु कार्य वन भूमि पर किया जाना है। जिस हेतु वन अधिकार समिति की अनुमति लेना आवश्यक है।

अतः ग्राम सभा लोट प्रस्ताव द्वारा वन अधिकार समिति से अर्ज होवे की उक्त ग्रामवासियों की समस्या को मध्य नजर रखते हुये जनहित में निर्माण सडक शोगनी से भवितकटेर हेतु वन भूमि पर कार्य करने की अनुमति प्राथमिकता के आधार पर प्रदान करने की अनुकम्पा करे जी ताकि कार्य शुरू करवाया जा सके जो कि बैठक में सर्व सहमति से पारित व स्वीकार है।

प्रमाणित किया जाता है कि नकल कार्यवाही अनुसार असल है।

प्रतिलिपि सेवा में:-

1. वन मण्डल अधिकारी महोदय आनी स्थित (लूहरी)को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।